दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 04.01.2024

निर्णय उद्घोषित: 16.01.2024

सि.वि.(मु.) सं. 1320/2018, सि.वि. सं. 45225/2018, 4967/2019

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री विभा महाजन सेठ एवं सुश्री टीना श्रीवास्तव, अधिवक्ता

बनाम

पारस .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री अंकिता पटनायक, अधिवक्ता (डीएचसीएलएससी) सह प्रत्यर्थी ।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री शालिंदर कौर

<u>निर्णय</u>

1. सिविल वाद सं. 38/2018 (1524/2016) में प्रतिवादी यहाँ याचिकाकर्ता है तथा वादी यहाँ प्रत्यर्थी है जो विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (केंद्रीय)-10 (इसके बाद "एडीजे" से संदर्भित), तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है। याचिकाकर्ता के गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति मांगने वाले प्रत्यर्थी की ओर से दायर आवेदन पर विद्वान एडीजे द्वारा पारित दिनांक 14.08.2018 के आदेश से याचिकाकर्ता व्यथित है। विद्वान एडीजे

ने आवेदन को अनुमति दी थी जिससे याचिकाकर्ता यानी ब.सा.-1 एवं ब.सा.-4 के गवाहों को प्रतिपरीक्षण के लिए वापस बुलाने की अनुमति दी गई थी।

2. वर्तमान याचिका से उद्धृत प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

3. दिनांक 25.01.2012 को, प्रत्यर्थी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर खड़े होने के दौरान पीछे से अचानक टकराने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गया। प्रत्यर्थी रेलवे पटरी पर गिर गया और मेट्रो ट्रेन (टीएन-3505) के नीचे आ गया। प्रत्यर्थी को बचा लिया गया था, हालांकि, उपरोक्त दुर्घटना के कारण उसे पीठ और रीढ़ की हड्डी में कई चोटें आईं। नतीजतन, उसने याचिकाकर्ता यानी दिल्ली मेट्रो रेल निगम (जिसे इसके बाद "डीएमआरसी". से संदर्भित) के खिलाफ याचिकाकर्ता की लापरवाही के कारण उसे आई चोटों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत ब्याज के साथ 19 लाख रुपए मांगते हुए एक वाद दायर किया ।

4. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने इस तरह की किसी भी लापरवाही से इनकार करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष अपना लिखित कथन दायर किया और सीसीटीवी फुटेज को महत्व दिया जिसमें यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी दिनांक 23.01.2012 को 17:15 बजे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचा और जानबूझकर ट्रेन सं. 35 02 डीटी-28 के सामने कूद गया था। जिसके कारण उन्हें शारीरिक चोटें आईं। इसलिए, प्रत्यर्थी को अपने जानबूझकर किए

गए कार्य के कारण चोटें आईं, न कि याचिकाकर्ता की ओर से की गई किसी भी लापरवाही के कारण जैसा की उसके द्वारा आरोप लगाया गया है।

5. याचिकाकर्ता ने यहां यह भी अनुरोध किया है कि इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाह कार्य के लिए प्रत्यर्थी पर दिल्ली मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 के तहत अभियोजित और दंडित किया जा सकता है।

6. यह अभिलेख का हिस्सा है कि प्रत्यर्थी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इस प्रकार दिनांक 21.8.2012 की तहसीलदार की आख्या के आधार पर उसे विद्वान विचारण न्यायालय के दिनांक 08.10.2012 के माध्यम से उसे निर्धन व्यक्ति के रूप में मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी|

7. याचिकाकर्ता की ओर से तर्कों का मुख्य केंद्र यह है कि दीवानी मुकदमा वर्ष 2012 में संस्थित किया गया था और प्रत्यर्थी ने दिनांक 13.02.2014 पर अपने साक्ष्य को पूर्ण कर लिया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.03.2014 पर बचाव में अपना साक्ष्य खोला और चार गवाहों यानी ब.सा.-1 से ब.सा.-4 के साक्ष्य शपथ-पत्र दायर किए। याचिकाकर्ता के साक्ष्य की शुरुआत ब.सा.-1 के परिक्षण से हुई जिसकी मुख्य परीक्षण में अपना साक्ष्य शपथ पत्र देने के बाद आंशिक रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी ब.सा.-1 की प्रतिपरीक्षा करने में विफल रहा, दिनांक 07.11.2014 के आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी के ब.सा.-1 के अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण के अधिकार को बंद कर दिया गया

था। दिनांक 06.01.2014 पर, ब.सा.-4 ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया, फिर से प्रत्यर्थी के अधिवक्ता की गैर-उपस्थिति के कारण, उसे ब.सा.-4 का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर देने के बाद, अधिकार को बंद कर दिया गया और मामले को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ब.सा.-2 तथा ब.सा.-3 के आगे प्रमुख साक्ष्य के बिना बचाव में साक्ष्य को बंद कर दिया।

8. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी की ओर से अंतिम बहस को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थगनों की मांग करने के बाद, आंशिक बहस को दिनांक को 27.04.2016 पर सुना गया, जब इसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सीडी, प्र.ब.सा.-1/1 के रूप में चलाया गया था जो घटना के वीडियो फुटेज के संबंध में नहीं था। इस प्रकार, दिनांक 04.10.2016 को, याचिकाकर्ता द्वारा घटना के वीडियो फुटेज को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे दिनांक 04.05.2017 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी और मामले को प्रतिवादी (याचिकाकर्ता यहाँ) के साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उस स्तर पर, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता यानी ब.सा.-1 एवं ब.सा.-4 के गवाहों को वापस बुलाने के लिए सि.प्र.सं की धारा 151 के तहत अपने द्वारा दायर दिनांक 16.02.2017 के आवेदन के लिए भी दबाव डाला। उक्त आवेदन को दिनांक 14.08.2018 के

आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई तथा ब.सा.-1 एवं ब.सा.-4 को प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाया गया।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 14.08.2018 के आक्षेपित आदेश को पारित करने के लिए तथ्यों के अनुक्रम का वर्णन करने के बाद प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी का विचारण के प्रत्येक चरण में अधिवक्ताओं द्वारा विधिवत प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक विधिक सहायता अधिवक्ता उनकी ओर से तब भी पेश हुआ जब उन्होंने सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत दिनांक 16.02.2017 को एक आवेदन दायर किया था। उन्हें ब.सा.-1 और ब.सा.-4 का प्रतिपरीक्षण करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन वे उन अवसरों का लाभ उठाने में विफल रहे।

10. यह प्रस्तुत किया गया था कि ब.सा.-1 तथा ब. सा.-4 का अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण करने के उनके अधिकार को बंद करने वाले दिनांक 07.11.2014 और 06.01.2015 के आदेशों को चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए, दिनांक 16.02.2017 का आवेदन केवल गवाहों के साक्ष्य में चूक को भरने के लिए दायर किया गया था, जिनका पहले ही प्रतिपरीक्षण किया जा चुका है, जिसकी विधि के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है।

11. अपने उपरोक्त प्रतिविरोधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्वान अधिवक्ता ने मुझे **"राम रायत बनाम अपने वि.प्र. द्वारा मांगे राम (मृत) व अन्य**" (2016) 11 एससीसी 296 [पैरा 12-13]", **एआरबी आईएनसी बनाम**

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य, "अ.प्र.आ. (मू.प.) सं. 398/2015 [पैरा 3-14]" एवं "**राजीव मेहता बनाम सविता मेहता** "253 (2018) डीएलटी 156 (डीबी) [पैरा 6,9-13] शीर्षक वाले निर्णयों से अवगत कराया।

12. आगे की बहस को संबोधित करने के लिए। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता में सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 के तहत एक साक्ष्य को वापस बुलाने के अलावा पहले से ही प्रतिपरीक्षित साक्ष्य की नई प्रतिपरीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जो न्यायालय को किसी भी मुद्दे या संदेह को स्पष्ट करने के लिए किसी भी गवाह को स्वतः या किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर वापस बुलाकर शक्ति प्रदान करता है। इसका उपयोग नियमित रूप से केवल पूछने के लिए या किसी पक्षकार को साक्ष्य में खामियों की भरपाई करने में सक्षम बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एडीजे ने याचिकाकर्ता के प्रतिपरीक्षा किए गए गवाहों को आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाने की मांग करने वाले प्रत्यर्थी के आवेदन को इस आधार पर अनुमति देने में त्रुटि की कि विधि की जटिलताएं न्याय के उद्देश्यों का अल्पीकरण नहीं कर सकती हैं, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के गवाहों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए उसे प्रदान किए गए कई अवसरों का लाभ नहीं उठाने की लापरवाही बरत रहा था। इसके अलावा, समय सीमा को उलटने से मामले

की पूरी सुनवाई शुरू होने से याचिकाकर्ता के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होने वाला है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है तथा इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित किया था। इस प्रकार, प्रासंगिक समय पर उनके अधिवक्ता के विधिक व्यय व शुल्क अदा न करने के व धन के अभाव के कारण, उनके पूर्व अधिवक्ता ने उनकी ओर से पेश होना बंद कर दिया और वाद कई दिनों तक किसी भी अधिवक्ता द्वारा पैरवी न किए जाने पर तब तक उपेक्षित रहा जब तक कि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा सिविल वाद में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया। उक्त अधिवक्ता ने अभिलेख की जांच की और यह देखा गया कि याचिकाकर्ता के गवाहों का प्रतिपरीक्षण अपूर्ण था और समाप्त नहीं हुआ था। उपरोक्त स्थिति से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति मांगने के लिए सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया।

15. यह आवेगपूर्ण तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.10.2016 को अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए एक आवेदन दायर किया था और प्रत्यर्थी ने दिनांक 16.02.2017 पर याचिकाकर्ता के गवाहों को वापस बुलाने के लिए सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत अपना आवेदन दायर किया था। विद्वान एडीजे

ने चूंकि याचिकाकर्ता के उपरोक्त आवेदन को अतिरिक्त साक्ष्य देने और इस प्रकार इक्विटी को संतुलित करने की अनुमति दी थी, इसलिए प्रत्यर्थी को ब.सा.-1 व ब.सा.-4 यानी याचिकाकर्ता के गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति भी दी।

<u>कारण एवं निष्कर्ष</u>

16. चूँकि स्थापित होने के बाद, विधि की स्थिति स्पष्ट है कि सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 के तहत गवाह को वापस बुलाने की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के समावेदन पर किया जा सकता है, हालांकि, गवाहों को वापस बुलाने के लिए वाद के किसी भी पक्षकार द्वारा दायर आवेदनों को शामिल करने की शक्ति की भी व्याख्या की गई है। इस तरह की शक्ति का उपयोग गवाह के साक्ष्य में कमी की भरपाई के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो पहले ही दर्ज की जा चुकी है, बल्कि गवाह की परीक्षा के दौरान उत्पन्न हुई किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राम रति बनाम मांगे राम** (2016) 11 सर्वोच्च न्यायालय 296 के मामलों के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> *"नियम 17 के तहत कठोरता, हालांकि, आगे की जांच या प्रतिपरीक्षा या यहां तक कि नए साक्ष्य के उत्पादन के उद्देश्य से साक्ष्य को फिर से खोलने के लिए न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक आदेश पारित करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को प्रभावित नहीं करती है। साक्ष्य बंद होने के बाद भी*

वाद के किसी भी चरण में इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, अंतर्निहित शक्ति ही एकमात्र उपाय है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा के.के. वेलुसामी में पैरा 11 में अभिनिर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है: (एससीसी पृष्ठ 282)

"11. संहिता में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो पक्षकारों को आगे की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से साक्ष्य को फिर से खोलने में सक्षम बनाता है। संहिता की धारा 151 में यह प्रावधान है कि संहिता की किसी भी चीज को ऐसे आदेश देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो। न्यायालय द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए, साक्ष्य को फिर से खोलने या किसी भी गवाह को आगे की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाने का प्रावधान करने वाले किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में, संहिता की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्ति, इसकी परिसीमा के अधीन, साक्ष्य को फिर से खोलने और/या आगे की परीक्षा के लिए गवाहों को वापस बुलाने के लिए उपयुक्त मामलों में लागू की जा सकती है। न्यायालय की यह अंतर्निहित शक्ति संहिता के आदेश 18 नियम 17 के तहत न्यायालय को किसी भी गवाह को वापस बुलाने की व्यक्त शक्ति से प्रभावित नहीं होती है ताकि न्यायालय किसी भी स्पष्टीकरण को प्राप्त करने के लिए इस तरह का प्रश्न पूछ सके।"

18. गवाहों को वापस बुलाने के संबंध में विधि के सिद्धांतों पर **के. के. वेलुस्मे बनाम एन. पलानीसामी** (2011) 11 एससीसी 275 के मामले में चर्चा की गई और यह देखा गया:

"16. हम सावधानी का एक शब्द जोड़ सकते हैं। संहिता की धारा 151 या आदेश 18 नियम 17 के तहत शक्ति का उपयोग नियमित रूप से केवल पूछने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस प्रकार उपयोग किया जाता है, यह विचारणों में तेजी लाने के लिए संहिता में विभिन्न संशोधनों के उद्देश्य को विफल कर देगा। लेकिन जहां आवेदन प्रामाणिक पाया जाता है और जहां अतिरिक्त साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी, न्यायालय को मुद्दों पर साक्ष्य को स्पष्ट करने में सहायता करेगा और न्याय प्रदान करने में सहायता करेगा, और न्यायालय संतुष्ट है कि पहले पेश नहीं किया जाना वैध और पर्याप्त कारणों से था, न्यायालय गवाहों को वापस बुलाने या नए साक्ष्य की अनुमति देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर वह ऐसा करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया एक लंबी रणनीति न बने। न्यायालय को विलंब के लिए दूसरे पक्ष को उचित जुर्माने का भुगतान करना अधिनिर्णीत करना चाहिए, दूसरा, न्यायालय को एक निश्चित समय अनुसूची के भीतर मामले को लेना चाहिए और पूरा करना चाहिए ताकि देरी से बचा जा सके। तीसरा, यदि आवेदन शरारतपूर्ण, या तुच्छ, या लापरवाही या कमी को छिपाने के लिए पाया जाता है, तो इसे भारी जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए। यदि आवेदन की अनुमति दी जाती है और साक्ष्य की अनुमति दी जाती है और अंततः न्यायालय को पता चलता है कि साक्ष्य वास्तविक या प्रासंगिक नहीं था और गवाहों को वापस बुलाकर मामले को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं थी, तो इसे अभियोजन का आदेश देने के अलावा अनुकरणीय जुर्माना लगाने का एक आधार बनाया जा सकता है यदि इसमें साक्ष्य का निर्माण शामिल है। यदि पक्षकार के पास पहले ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया या यदि पहले से ही प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट एवं असंदिग्ध है, या यदि

वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदन का उद्देश्य केवल कार्यवाही को आगे बढ़ाना है, तो न्यायालय को आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए। यदि प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो न्यायालय आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले रिकॉर्डिंग को भी सुन सकती है।'

19. उपरोक्त न्यायिक उद्घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी न्यायालय के पास सि.प्र.सं. के आदेश नियम 17 या संहिता की धारा 151 के तहत किसी भी गवाह को वापस बुलाने के लिए पर्याप्त शक्तियां होंगी, लेकिन आदर्श रूप से न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से उचित मामलों में कम से कम उपयोग करने की शक्ति विवेकाधीन है।

20. अभिलेखों के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि प्रत्यर्थी के पूर्व अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के गवाह, ब.सा.1, श्री योगेश कुमार से दिनांक 27.05.2014 की आंशिक रूप से प्रतिपरीक्षा की थी, हालांकि, दोपहर के भोजन के समय के कारण प्रतिपरीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, मामले को ब.सा.1 से दिनांक 04.08.2014 की आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसे फिर से दिनांक 15.09.2014 के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि गवाह उपलब्ध नहीं थे, फिर प्रत्यर्थी हेतु परोक्ष अधिवक्ता के अनुरोध पर दिनांक 07.11.2014 के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि प्रत्यर्थी के मुख्य अधिवक्ता व्यक्तिगत कठिनाई में थे। इस प्रकार, मामले को फिर से 07.11.2014 तक स्थगित कर दिया गया जब प्रत्यर्थी के अधिवक्ता तब भी उपस्थित नहीं थे और प्रत्यर्थी के पिता ने स्थगन की मांग की, दूसरी

बार पर बुलाने पर भी, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहें और इस प्रकार विद्वान एडीजे ने प्रतिवादी के ब.सा.-1 का प्रतिपरीक्षण करने के अवसर को बंद कर दिया। मामला प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए दिनांक 06.01.2015 हेतु सूचीबद्ध किया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपने गवाह ब.सा.4 की मुख्य परीक्षा आयोजित की, फिर भी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे और प्रत्यर्थी के पिता ने पास ओवर की मांग की और फिर से पहले की तरह प्रतिवादी के अधिवक्ता दूसरे कॉल पर अनुपस्थिति रहे। ब.सा.1 की प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकी और बचाव पक्ष ने उक्त तिथि पर अपने साक्ष्य को बंद कर दिया।

21. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसकी अनुमति दी गई और उसके बाद प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण की अनुमति मांगने वाले आवेदन को प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया, जो आक्षेपित आदेश को पारित करने का कारण बना।

22. विशिष्ट परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी को विभिन्न कारणों से अपने अधिवक्ता के उपस्थित न होने के लिए और उसकी निर्धनता को देखते हुए पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विधिक सहायता अधिवक्ता प्रदान किया गया था जो मामले में लगन से पेश हो रहा है। ऐसे मामले में और न्याय के हित में, प्रत्यर्थी को अधिवक्ता की ओर से लापरवाही या निष्क्रियता के कारण पीड़ित

होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सत्य को उजागर करने के उद्देश्यों के लिए प्रतिपरीक्षा सर्वोपरि महत्व का एक चरण है, क्योंकि यह एक निष्पक्ष परीक्षण के सिद्धांत के अनुरूप है, मामले के वर्तमान विशिष्ट तथ्यों में एक गवाह से प्रतिपरीक्षा के अधिकार को बंद करने से प्रतिवादी के साथ अन्याय होगा। अतिरिक्त रूप से, विचारण प्रतिवादी के साक्ष्य के चरण में है क्योंकि प्रतिवादी का साक्ष्य की रिकॉर्डिंग यहां याचिकाकर्ता के पूछने पर खोली गई थी। तथ्यों को जब समग्रता में लिया जाता है तो यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्वान एडीजे द्वारा दिनांक 14.08.2018 को पारित आक्षेपित आदेश में कोई विकृति व्याप्त नहीं है। **एआरबी आईएनसी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य** *(पूर्वोक्त)* तथा **राजीव मेहता बनाम सविता मेहता** *(पूर्वोक्त)* निर्णयों को उनके अपने तथ्य पर निर्णीत किया गया है और जिनका वर्तमान याचिका के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है। नतीजतन, लंबित आवेदनों के साथ याचिका का निपटान निम्नलिखित निर्देशों के अधीन किया जाता है:-

i. प्रत्यर्थी को आज से एक सप्ताह के भीतर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गवाहों की उपलब्धता के अधीन ब.सा.-1 व ब.सा.-4 का प्रतिपरीक्षण करने का एक ही अवसर दिया जाएगा, बशर्ते गवाहों के प्रतिपरीक्षण शीघ्र तिथि तय करने की उसकी सहूलियत के अधीन, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

ii. प्रत्यर्थी एक ही दिन दोनों गवाहों की प्रतिपरीक्षा करेगा तथा ब.सा.-1 तथा ब.सा.-4 की प्रतिपरीक्षा को स्थगित करते हुए विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पक्षकारों को किसी भी आधार पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

शालिंदर कौर, न्या.

16 जनवरी, 2024/एस.एस.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*